

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

कानून विधार्य सूची

बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 16, 1918)

आमय 10.30 बजे हिन

1. प्रबन्धालार

पृथकतः वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. नियम 108 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री इंश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर की गोरखपुर बस्ती में आतंकवादियों द्वारा एक पुलिस कर्मी सहित वो व्यक्तियों की हत्या की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(2) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा कुषलों से खाद के मूल्य की अधिक वसूली किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेगे।

3. शासकीय विधि विवरक वार्य

(1) श्री बी.आर. यादव, बन मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 38 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय शिह, राज्य मंत्री विधि एवं संसदीय कार्य, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् उधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 36 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(3) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 37 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय।

निधारित

समय

2 घन्टे

1 घन्टा

4. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) लोक आमुक संगठन का आठवीं, नवी तथा दसवीं वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः (दिनांक 1.4.89 से 31.3.90 तक), (दिनांक 1.4.90 से 31.3.91 तक); तथा (दिनांक 1.4.91 से 31.3.92 तक) पर चर्चा।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 35वें वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.91 से 31.3.92 तक) पर चर्चा।

भोपाल :
दिनांक : 6 दिसम्बर, 1994

वीता चाचा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा